

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर कार्यालय आदेश

राजस्थान सेवा नियमों के नियम-22 के अन्तर्गत राजस्थान शिक्षा सेवा के श्री अशोक कुमार, व्याख्याता-इतिहास, (जन्मतिथि 15.09.1988) राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कांकौली-सैपऊ-धौलपुर ने स्वयं की विपरित पारिवारिक परिस्थितियों के कारण उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र आधार पर दिनांक 10.08.2019 से व्याख्याता-इतिहास, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कांकौली-सैपऊ-धौलपुर के पद से त्याग पत्र स्वीकार किया जाता है।



(नथमल डिडेल)

IAS

निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा


राजस्थान बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-2/वाणि-इति/त्याग पत्र/2019

दिनांक- 26.8.19

प्रतिलिपि:-प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- 1 उप शासन सचिव-प्रथम शिक्षा(ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
- 2 सम्बन्धित संयुक्त निदेशक-स्कूल शिक्षा,
- 3 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी-मुख्यालय/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
- 4 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्युटर अनुभाग को वेबसाईट पर अद्यतन करने हेतु।
- 5 अनुभाग अधिकारी, शाला दर्पण अनुभाग कार्यालय हाजा को उक्तानुसार कार्मिक के कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण की प्रभावी मोनितरिंग करें।
- 6 संबन्धित संस्था/शाला/प्रधानाचार्य को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार शाला दर्पण को तत्काल अपडेट करवावें।
- 7 अनुभाग अधिकारी-सी-8/एबी/वरिष्ठता/सीओए/गोपनीय प्रतिवेदन/  
(RPSC 2015, Merit No-(old- 554)(New-567)
- 8 सम्बन्धित कार्मिक/रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर